

Subsidy Scheme for Fishing Trawler Industry

1941. SHRI K. RAMAMURTHY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the details of the subsidy scheme introduced in 1970 for encouraging indigenous fishing trawler industry;

(b) whether it is a fact that no subsidy had been given to Mazagaon Docks and Chowgules and another private company which built about 17 fishing trawlers during the period 1970 to 1980 ;

(c) whether not a single Paisa has been disbursed as late as September, 1983 for Chowgules who have agreed to build 5 trawlers ; and

(d) the agency presently implementing this scheme and whether this agency is still reluctant to take a final decision about the implementation of subsidy scheme to Indian trawler builders ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) A copy of the Notification dated the 15th June, 1970, is laid on the Table of the House (Placed in Library. See. No. LT-7157/83)

(b) to (d) In continuation of the notification dated the 15th June, 1970, the Government of India by a supplementary notification dated the 25th October, 1972, decided to grant a subsidy of Rs. 2 lakhs for each 57 feet deep sea steel fishing vessel manufactured indigenously on the conditions indicated in the notification dated 15th June, 1970. It was also notified that the subsidy was valid up to 31st March, 1973.

The claims of subsidy preferred by the trawler builders were examined and were found that their claims are not sustainable in terms of the conditions stipulated in the notification. The companies were informed accordingly on 17th September, 1983.

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में
खाद्यान्न का नष्ट होना

1942. श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 के दौरान सरकार (भारतीय

खाद्य निगम) द्वारा वसूल किए गए गेहूं, चावल अथवा अन्य खाद्यान्नों में से कितना प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो गया है और उसका रूपों में मूल्य कितना है ; और

(ख) इसके नष्ट होने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों में से कोई भी स्टॉक 1983 के दौरान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ बताया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों के किसानों को बीजों और उर्वरकों के लिए राज सहायता

1943. श्री नरसिंह मकवाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान अनुसूचित जातियों के किसानों को बीजों और उर्वरकों के लिए कितनी राज सहायता दी गई और उसका राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यों को किस एजेंसी के माध्यम से बीज और उर्वरकों के लिए सहायता दी जाती है और क्या इसके लिये एजेंसी अलग-अलग है अथवा एक ही है ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गयी है कि क्या राज सहायता हरिजन किसानों तक पहुंची है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि विभाग में केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के तहत इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में घाटमपुर में चीनी कारखाने स्थापित किए जाना

1944. श्री त्रिलोक चन्द : क्या खाद्य और